न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 हरीतिमा (आर.ए.एस.)

अपील संख्याः 77/2021

1. दुर्गादत्त पुत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 22, मिनी मार्केट, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
2. वृजलाल पुत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 22, मिनी मार्केट, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़
3. लक्ष्मी पुत्री स्व0 वीरवलराम शर्मा पत्नी पुरूषोत्तम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड 17 पंजाबी मोहल्ला, हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़
4. पुष्पा देवी पुत्री स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद मार्फत रामनिवास, 630 के, वार्ड न. 27 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़
5. महावीर प्रसाद पुत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ (फौत)

5/1 विद्या देवी पत्नी स्व0 महावीर प्रसाद पुत्रवधू स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/2 राजेन्द्र शर्मा पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद पौत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/3 मांगीलाल पुत्र स्व0 महावीर प्रसाद पौत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न 4 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/4 सरोज पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद पत्नी भरतलाल जाति ब्राहमण निवासी, सूरतगढ़ हाल आबाद ग्राम हरकेवाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

5/5 कमलेश पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद पत्नी रामप्रताप जाति ब्राहमण निवासी रामनाथ कुटिया के पास सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

5/6 तारा पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद पत्नी श्याम सुन्दर जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड न. 22, गुरूद्वारा रोड, रायसिंहनगर तहसील रायसिंहनगर

5/7 माया पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद पत्नी प्रभुदयाल जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद ग्राम सांगडा तहसील व जिला हनुमानगढ़

5/8 उर्मिला पुत्री स्व0 महावीर प्रसाद मार्फत भादरराम जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड न. 3, 12 एमएलडी–ए घडसाना तहसील घडसाना

6. मोहनलाल पुत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ (फौत)

6/1 श्रीमती अंजु पुत्री स्व0 मोहनलाल पत्नी राजेन्द्र कुमार जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़ (फौत)

6/1/1 ललित कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार (पिता) व स्व0 अंजु (माता) जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़

6/1/2 अमित कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार (पिता) व अंजु (माता) जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़

6/1/3 पूजा शर्मा पुत्री राजेन्द्र कुमार (पिता) व स्व0 अंजु (माता) जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद अमरपुरा जाटान तहसील सूरतगढ़

6/1/4 पूनम पुत्री राजेन्द्र कुमार (पिता) व स्व0 अंजु (माता) पत्नी मनीष कुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 23, अग्रवाल मोहल्ला अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़

7. बाबूलाल पुत्र वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़

7/1 सुमित्रा पत्नी बाबूलाल पुत्रवधू वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड न. 39 हनुमानगढ़ ज0 तहसील व जिला हनुमानगढ़

7/2 सुरेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 बाबूलाल पौत्र वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, हनुमानगढ़ ज0 तहसील व जिला हनुमानगढ़

7/3 नरेश कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल पौत्र स्व0 वीरवलराम शर्मा जाति ब्राहमण निवासी सूरतगढ़ हाल आबाद वार्ड न. 39 हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (फौत)

7/3/1 अंजु पत्नी स्व0 नरेश कुमार पुत्रवधू स्व0 बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 39 हनुमानगढ़ ज0 तहसील व जिला हनुमानगढ़

7/3/2 प्रतीक्षा पुत्री स्व0 नरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 39, हनुमानगढ़ ज0 तहसील व जिला हनुमानगढ़

7/3/3 अनमोल शर्मा पुत्र स्व0 नरेश कुमार जाति ब्राहमण निवासी वार्ड न. 39, हनुमानगढ़ ज0 तहसील व जिला हनुमानगढ़

.....अपीलांट्स

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये भू– प्रतिनिधी तहसीलदार सूरतगढ़

.....रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री राकेश कुमार मनचन्दा–अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

दिनांक: 11.11.2021

निर्णय

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के निर्णय दिनांक 31.08.2006 जिसके द्वारा अपीलांट्स की माता/दादी/ पडदादी/सास/नानी कमला देवी बेवा वीरबलराम जाति ब्राहमण साकिन सूरतगढ के नाम से रोही सूरतगढ के खसरा न. 485/1 में 3.948, 485/2 में 0.038, 485/6 में 0.329 कुल 4.315 है0 बारानी भूमि टी.सी. आवंटित रकबा पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी।

2. अपील मीमो संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2006 अपीलांट्स की माता/दादी/पडदादी/सास/नानी को बिना सुने, बिना साक्ष्य के जारी कर आवंटी 40 वर्ष पुराना टी.सी. आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर मृतक के विरूद्व निर्णय करके टी.सी. आवंटन खारिज कर दिया। आवंटी कमला देवी को उक्त भूमि राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते सन 1995 के प्रावधानो के अन्तर्गत सन 1970–71 में अस्थाई पट्टा पर आवंटित हुई थी, जिसका आवंटन सें लेकर संवत 2061 तक लगातार नवीनीकरण होता रहा जो कि पत्रावली से सावित है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के मुताबिक उक्त भूमि नगरपालिका की पैराफेरी परिधि में आ चुकी है, इसलिए नवीनीकरण नही किया जा सकता। मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आवंटी कमला देवी के नाम का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर उक्त टी.सी. आवंटित रकबा खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय की सूचना आवंटी या उसके वारिसान को नही दी। मातहत न्यायालय ने आवंटी कमला देवी का उक्त टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी कब्जा काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि का आवंटन समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा है व रकम कायम होती रही तथा आवंटी के जीवन काल में आवंटी का तथा उसकी मृत्यु के बाद अपीलांट्स का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। आवंटी कमला देवी व उसके पश्चात अपीलांट्स ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अपीलाधीन आदेशों में वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम का हवाला दिया गया जबकि उक्त नियम 1996 में बने एवं प्रश्नगत भूमि वर्ष 1970 से ही भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत आवंटित होकर निरंतर आवंटी के जीवन में आवंटी के कब्जा मे तथा आवंटी की फौत होने पश्चात अपीलांट्स के कब्जा काश्त में चली आ रही थी। पैराफेरी क्षेत्र स्थित भूमि के खातेदारी अधिकार देने के नियम व पद्वति तथा प्रणाली राज्य सरकार द्वारा प्रसारित की जा चुकी है। अपीलांट्स उक्त रकबा के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी है। अपीलाधीन आदेश न्यायोचित निर्णय की परिभाषा में नही आता, क्योंकि उक्त निर्णय, प्रिटेंड साईक्लोस्टाईल प्रर्फोमा पर ही जारी किया गया है। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने विवेक का प्रयोग नही किया गया। उक्त निर्णय स्पीकींग ऑर्डर की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट्स द्वारा अपनी अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र और धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। अपीलांट आवंटी के वारिसान है, जो कि आवंटी की मृत्यु के पश्चात मौका पर बतौर वारिसान काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। विधिअनुसार भी आवंटी की मृत्यु के पश्चात आवंटित भूमि के उसके वारिस मालिक होते है। अपीलांट के हित प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे है। अपीलांट का मौका पर कब्जा होने के वावजूद उन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकार बनाये, बिना सुने मृतक व्यक्ति के विरूद्व आदेश पारित किया है। इसलिए अपने अधिकारो की सुरक्षा के लिए अपील प्रस्तुत करना चाहते है। अपीलांट्स द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलाधीन आदेश के बारे में उन्हे पूर्व मे कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए तसीलदार सूरतगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट करवाने के लिए दिनांक 02.11.2021 को पटवारी से जानकारी हुई कि आवंटी कमला देवी का आवंटन दिनांक 31.08. 2006 को निरस्त कर दिया गया है। जबकि उनका स्वर्गवास दिनांक 10.07.1999 को हो चुका है। तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आवंटन निरस्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व होने से प्रारम्भिकतः शुन्य की परिभाषा में आता है । ऐसे प्रकरणों में जानकारी से अन्दर मियाद माने जाने का प्रावधान है। जानकारी होते ही अपीलांट द्वारा अपनी अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट का गुणदोष पर मामला बनता है । अतः न्यायहित में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर गुणदोष पर सुनवाई करते हुए न्यायहित में अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड मंगवाकर शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार मनचन्दा उपस्थित हुए तथा पैरोकार राज हाजिर आये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपना अपीलाधीन आदेश मृतक आवंटी के विरूद्व दिनांक 31.08.2006 पारित किया है, क्योंकि आवंटी कमला देवी की मृत्यु दिनांक 10.07.1999 को हो चुकी थी। इस रकबा पर पूर्व में आवंटी व उनकी मृत्यु पश्चात उनके वारिसान अपीलांट्स मौका पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अपीलाधीन आदेश आवंटी व उसके वारिसान अपीलांट्स को बिना सुनें, बिना साक्ष्य के आवंटी का 40 वर्ष पुराना टी.सी. आवंटन अपने ही कयासो के आधार पर खारिज कर दिया। न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008 (2) पेज 1216, आरबीजे 2013 पेज 226, आरआरटी 2017 पार्ट–I पेज 125 (एचसी) में यह माना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

है कि एक मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित आदेश शुरू से ही शून्य हैं। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने अनवान देवीलाल चर्तुवेदी बनाम फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में निर्णय पारित करते हुए यह माना है कि मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय शुरू से ही शून्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना कानूनी प्रकिया को अपनाये पारित किया गया है। रेवन्यू कोर्ट मैन्यूअल पार्ट–II के तहत बने नियमों के अनुसार पीठासीन अधिकारी द्वारा की जाने वाली तमाम कार्यवाही का संक्षिप्त वर्णन पत्रावली की फर्द अहकाम पर किये जाने का आज्ञात्मक प्रावधान है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही की ही नहीं गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर भूमि पैराफेरी में आने व वेस्ट लैण्ड आवंटन नियम 1996 के अंतर्गत आराजी काश्त को निरस्त किया गया है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आवंटी के नाम का उक्त आवंटित भूमि का समय–समय पर नवीनीकरण होता रहा व रकम कायम होती रही तथा आवंटी के फौत होने के पश्चात अपीलांटस का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलांट्स ने उक्त भूमि को सुधार कर काबिल काश्त बनाया। मातहत न्यायालय ने अपीलांट का टी.सी. आवंटित रकबा नगरपालिका के पैराफेरी क्षेत्र में आना मानकर खारिज कर दिया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि तहसीलदार को टी.सी. आवंटन खारिज करने का अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के जिन परिपत्रों का हवाला जैरअपील निर्णय में दिया है वे इस प्रकरण में लागू नहीं होते। उक्त परिपत्र वेस्ट लैण्ड भूमियों के संबंध में थे जबकि अपीलांट की भूमि कृषि योग्य भूमि है। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी.सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार उक्त शक्तियां जिला कलक्टर को दी गयी है। उक्त कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलांट ने कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (I) रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी प्रकरण संख्या 8376/2006 अनवान मल्लूराम बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2013 की प्रतियों की ओर ध्यान दिलाया। अपीलांट्स आवंटी के वारिसान होने के कारण आवंटित भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर खातेदारी प्राप्त करने व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने के कानूनी हकदार है। चूंकि अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स की पीठ के पीछे पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया है अतः अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना स्वीकार किया जावे तथा जाकर धारा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र पेश कर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ करने तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार करने तथा मातहत न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दि0 31.08.2006 खारिज किया जाने बाबत निवेदन किया।

5. पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि टी.सी. आवंटन एक वर्ष हेतु किया जाता है। उसके उपरान्त उक्त भूमि नगरपालिका की पेराफैरी व मास्टर प्लान में आ गयी, जिसके खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते तथा ना ही पुख्ता आवंटन किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित भूमि आवंटी कमला देवी बेवा बीरबलराम के नाम से आवंटित है। जिसके अपीलांट्स मुताबिक सदस्य प्रमाण पत्र व शपथ पत्र से वारिस होना बताया गया। इसका खण्डन रेस्पो0 द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं किये जाने से अपीलांट मृतक कमला देवी के वारिसान होना साबित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से आवंटी के नाम से नवीनीकरण होना व रकम कायम होना साबित है जिससे स्पष्ट है कि आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा बदस्तुर चला आ रहा है। आवंटी की मृत्यु के पश्चात अपीलांट्स मौका पर काबिज चले आ रहे है। अपीलीधीन आदेश में अंकित भूमि को आवंटी व उसके पश्चात अपीलांट्स द्वारा सुधारा गया है। अपीलांट्स मृतक के वारिस होने से अपीलाधीन आदेश से प्रभावित हुए है। इसलिए अपीलांट हितबद होने से अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र का रेस्पोडेंट द्वारा ना तो कोई जवाब पेश किया गया तथा ना ही कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही जवाब पेश करने हेतु कोई अवसर चाहा गया। प्रकरण में पैरोकार राज सीधे ही बहस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आवंटी एवं उसके वारिसान अपीलांट्स को बिना सुने एकतरफा तौर पर पारित किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश मृतक के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलांट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन है। ऐसे निर्णय को कभी भी निरस्त कराया जा सकता है। अतः अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय दिनांक 31.08.2006 में यह तथ्य स्वीकार किया है कि रोही कस्बा सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/1 में 3.948 है0 , 485/2 में 0.038 है0, 485/6 में 0.329 है0 कुल 4.315 है0 बारानी भूमि कमला देवी बेवा बीरबलराम जाति ब्राहमण को टी.सी. आवंटन हुई थी जो संवत् 2061 तक नवीनीकृत होती रही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन में राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 15.12.2005 व 08.02.2006 का हवाला देते हुए आवंटी कमला देवी के नाम का उक्त टी.सी. आवंटन खारिज किया है। उक्त आदेश आवंटी की मृत्यु दिनांक 10.07.1999 के पश्चात मृतक के विरूद्ध पारित किया गया है, जो कि गलत एवं विधिविरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायायिक कार्यवाही के लिए बनाई गई प्रकिया के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। इसके अलावा राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्तें, 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत वेस्टलैण्ड हेतु बने सन 1996 के नियमों के अंतर्गत उक्त आवंटन खारिज किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया परिपत्र दिनांक 15.12.2005 औद्योगिक या अन्य अकृषि प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि के संबंध में है जो कि इस प्रकरण

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (जिला–श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

में लागू नहीं होते, क्योंकि जैरप्रकरण भूमि आवंटी को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी थी। इसी प्रकार राज्य सरकार का परिपत्र क्रमांक प. 9 (25) राज/16/2004/4 दिनांक 08.02.2006 शहरों में पैराफेरी क्षेत्र में आवंटित वेस्ट लैण्ड के संबंध में है, वह भी इस प्रकरण में लागू नहीं होते। राजस्थान उपनिवेशन (अस्थाई कृषि पट्टा) शर्ते 1955 के अंतर्गत टी. सी. लीज को निरस्त करने की शक्तियां तहसीलदार को न होकर शर्त संख्या 19 के अनुसार जिला कलक्टर महोदय को है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया आलोच्य निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर आरआरडी 2017 पेज 447, आरआरटी 2008 (1) नोटिफिकशन न. एफ 9 (15) रेवन्यू 6/2005 पेज 33, आरएलडब्लयू 2016 (i)रेवन्यू पेज 415, आरआरडी 1992 पेज 117 तथा आरबीजे 2013 पेज 226 व आरआरटी 2017 पार्ट–1 पेज 125 (एचसी) इस प्रकरण में भलीभांती चस्पा होते है, इसलिए अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 31.08.2006 निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड मय निर्णय प्रति वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 हरीतिमा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (सूरतगढ़ी गंगानगर)

Scanned by CamScanner